

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय अतिरिक्त जिलाधीश/प्रथम अपील अधिकारी (उ.पू.)
उपायुक्त कार्यालय परिसर, नन्द नगरी, दिल्ली -110093.
फोन नं 22115490 (फैक्स) 22115513

सं. पीए/ए.डी.एम./उ.पू./आर.टी.आई./अपील/34/2014/ 154- 157

दिनांक: 11/05/15

श्री मुकेश शर्मा, अपीलकर्ता
बनाम

जन सूचना अधिकारी/एस.डी.एम.-हैंड क्वार्टर
जन सूचना अधिकारी/एस.डी.एम.-यमुना विहार

आदेश

उपरिथित:- श्री मुकेश शर्मा, अपीलकर्ता
श्री लक्ष्मन सिंह जन सूचना अधिकारी/एस.डी.एम.-हैंड क्वार्टर की तरफ से
दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया।

अपीलकर्ता का न तो इसमें व्यक्तिगत हित शामिल है और ना ही सार्वजनिक।

सभी शिकायत पत्र पर कार्यवाही हो ही, यह अनिवार्य नहीं है।

शिकायत पर की गई कार्यवाही यदि होती है तो वह तीसरी पार्टी से संबंधित और सतर्कता विषय में आने की वजह से भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

अतः इस अपील का निस्तारण किया जाता है।


(डॉ. नवलेन्द्र कुमार सिंह)
प्रथम अपील अधिकारी/ए.डी.एम. (उ.पू.)


अपीलकर्ता इस आदेश के विरुद्ध धारा 19(3) जन सूचना अधिकार 2005 के तहत 90 दिन के बाद द्वितीय अपील केन्द्रीय जन सूचना आयोग, ब्लाक -4 पुराना जे. एन. यू. परिसर नई दिल्ली में कर सकता है।

सं. पीए/ए.डी.एम./उ.पू./आर.टी.आई./अपील/34/2014/

दिनांक:

प्रतिलिपि:-

1. श्री मुकेश शर्मा, सी 3/20, यमुना विहार, दिल्ली
2. जन सूचना अधिकारी/एस.डी.एम.-हैंड क्वार्टर, जिला उ.पू. दिल्ली
3. जन सूचना अधिकारी/एस.डी.एम.-यमुना विहार, जिला उ.पू. दिल्ली
4. डी.आई.ओ., एन.आई.सी. जिला उ.पू. दिल्ली को इस आदेश के साथ कि यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड करवा दें


(डॉ. नवलेन्द्र कुमार सिंह)
प्रथम अपील अधिकारी/ए.डी.एम. (उ.पू.)